# कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष)

## सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

कमांक/विविध/2014/6276 भोपाल, दिनांक 17/12/14

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश।

विषयः–चराई नियमावली 1986 का अनुपालन।

———

कृपया इस कार्यालय के पत्र कमांक/संरक्षण/1702 दिनांक 20–11–2002 का अवलोकन करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न), जिसमें आपको वनों के संरक्षण हेतु चराई नियमों के पालन करने के निर्देश दिये गये थे। आपके वृत्त में निस्तार पुस्तिकाओं के प्रकाशन की कार्यवाली प्रचलन में होगी, जिस हेतु आपने इस कार्यालय के पत्र अनुरूप वन खण्डों के चराई भार का आंकलन कर लिया होगा, अतः उसे भी निस्तार पुस्तिका में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

विगत वर्ष चराई नियमों के तहत वन मण्डल वार कितनी चराई अनुज्ञप्तियां (2014–15) जारी की गई, उसकी जानकारी 15 जनवरी, 2015 तक भेजने का कष्ट करें।

कृपया वनों के संरक्षण हेतु चराई नियम 1986 का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है।

संलग्नः– पत्र कमांक 1702 दिनांक 20–11–2002

(मनोज कुमार अग्रवाल)
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक/विविध/2014/6277 भोपाल, दिनांक 17/12/14

प्रति,

समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय), म0प्र0 की ओर चराई नियमावली 1986 तथा इस कार्यालय के पत्र कमांक 1702 दिनांक 20–11–2002 का पालन सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

# अध्याय – 7

# वनों में अत्यधिक चराई पर नियंत्रण

## 7.1 मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986

मु.व.सं. का
क/संरक्षण/1702
दि0 20–11–2002

**7.1.1** मध्यप्रदेश के वनों के पुनरुत्पादन में सबसे बड़ी बाधा पालतू पशुओं के अत्यधिक चराई दबाब को माना जाता है । शासकीय वनों में चराई को नियंत्रित करने के लिये मध्यप्रदेश चराई नियम , 1986 लागू किये गये हैं । इनके अनुपालन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं :–

1– राज्य के वनों में अनुज्ञप्ति के बिना चराई प्रतिबंधित है । निःशुल्क चराई के लिये भी अनुज्ञप्ति आवश्यक है । चराई अनुज्ञप्ति प्रत्येक ग्राम सभा व्दारा उस संयुक्त वन प्रबन्धन समिति को आवंटित क्षेत्र के लिये जारी की जावेगी।

2– राज्य के वनों में उनकी धारण क्षमता (Carrying Capacity) के अनुरुप ही चराई भार की अनुमति दी जावेगी । चराई खण्डों का निर्धारण वन संरक्षक व्दारा किया जाना है किन्तु अंतरिम तौर पर प्रत्येक वन खण्ड को चराई इकाई माना गया है । अंतरिम तौर पर आरक्षित वनों में एक पशु इकाई एवं संरक्षित वनों में 2 पशु इकाई प्रति हैक्टर का चराई भार निर्धारित किया गया है ।

3– आरक्षित वनों में मेढ़ा, मेढ़ी, भेड़, बकरा, बकरी,ऊँट, हाथी को चराई की अनुज्ञा नहीं दी जायगी । यह प्रजातियॉ सामान्यतः संरक्षित वनों में अनुज्ञप्ति के अधीन चर सकतीं हैं किन्तु अभिगमन चराई अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत संरक्षित वनों में भी इनकी चराई प्रतिबंधित है । (मार्ग के मध्य से 100 मीटर की दूरी को छोड़कर )

4– 20 पशु इकाई से अधिक पशुओं के मालिकों को चराई शुल्क का भुगतान करना होता है । 21 से 30 पशु इकाई तक रुपये 4/– एवं उससे अधिक रुपये 8/– प्रति पशु इकाई की दर निर्धारित है । गाय, बैल एवं सॉड की चराई निःशुल्क है। किसी भी चराई इकाई या उप

इकाई में निःशुल्क अथवा सशुल्क चरने के लिये अनुज्ञप्त पशुओं की संख्या उसकी धारण क्षमता से अधिक नहीं होगी ।

5– किसी चराई इकाई में चराई हेतु गॉवों की प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु मापदण्ड नियम – 4 के अन्तर्गत निर्धारित है एवं प्रत्येक चराई इकाई ( वन खण्ड) को उप इकाईयों में बॉट कर ग्राम सभा व्दारा चराई अनुज्ञप्तियॉ जारी की जाना है।

6– अभिगमन (Transit) चराई के लिये शासन व्दारा अलग से वार्षिक दरें (40/– रुपये प्रति पशु इकाई) निर्धारित की गई है । इन दरों को सामान्य दरों के साथ किसी भी हालत में Confuse न किया जावे। यह दरें उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती है जहॉ कोई व्यक्ति अपने पशुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना चाहता हो । राजस्थान एवं गुजरात से मध्यप्रदेश होकर उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र जाने वाले पशुओं के लिये शासन व्दारा विशेष मार्ग निर्धारित किये गये हैं एवं यह पशु उन्हीं मार्गो से आवागमन कर सकते हैं तथा इन मार्गो से जाने के लिये उन्हें अभिगमन चराई शुल्क का भुगतान करना होगा । अन्य क्षेत्रों में इन पशुओं का पाया जाना अपराध की श्रेणी में आता है ।

7– पैरा 3 में उल्लेखित प्रजातियों के अतिरिक्त प्रजातियों के पशु अभिगमन के दौरान वनों में चराई कर सकते हैं किन्तु पैरा– 3 मे उल्लेखित पशु निर्धारित मार्गो की मध्य रेखा से 100 मीटर की दूरी के अन्दर ही चर सकते हैं ।

8– देखने में आ रहा है कि क्षेत्रीय अधिकारियों व्दारा वनों में चराई को नियंत्रित करने के लिये नियमों का कड़ाई से पाललननहीं करवाया जा रहा है । कृपया आप लोग शीध्रतिशीध्र सभी वन मण्डलाधिकारियों की बैठक बुलवाकर नियमों के पालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 21–5–2002 के अनुसार चराई अनुज्ञप्ति जारी करने का कार्य ग्राम सभाओं को दिया गया है, कृपया इस व्यवस्था को लागू करने के लिये आवश्यक

## 7.1.3चराई इकाई से अभिप्रेत –नियम 2 (3)

| | | |
|---|---|---|
| (क) | गाय,सॉड तथा बैल दो वर्ष की आयु तक के | प्रत्येक आधी इकाई |
| (ख) | भैंसे दो वर्ष की आयु तक के | प्रत्येक एक इकाई |
| (ग) | गाय, सॉड तथा बैल दो वर्ष के ऊपर के | प्रत्येक एक इकाई |
| (घ) | भैसें दो वर्ष के ऊपर | प्रत्येक दो इकाई |
| (ड.) | घोड़ा ,घोड़ी , खस्सी पशु(गिल्डिग्स) टट्टू, बछेड़ी ,खच्चर, गधा | प्रत्येक एक इकाई |
| (च) | मेढ़ा मेढ़ी, भेड़, बकरा | प्रत्येक एक इकाई |
| (छ) | ऊँट | प्रत्येक पॉच इकाई |
| (ज) | हाथी | प्रत्येक बीस इकाई |

## 7.2 जिला स्तरीय टास्क फोर्स

शासन,वन विभाग
आदेश डी–3396
/2891/ 97/10/3
दि0 19–12–1997

(क) प्रदेश में राजस्थान से आने वाली लाखों भेड़ों व ऊँटों के व्दारा प्रदेश के वनों व किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचता है । इन भेड़ों एवं ऊँटों के साथ चरवाहे जिनमें पुरुषों के साथ साथ महिलायें भी सम्मिलित रहती हैं, लाठी, भाले, गोफन व बन्दूकों से लेस होकर वन एवं अन्य जिला स्तर के अधिकारियों / कर्मचारियों को डरा धमकाकर मनमानी करते हैं तथा नियम कानूनों का उल्लघन कर कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ते हैं । इस समस्या से प्रभावित जिले मन्दसौर, धार, खरगौन, देवास, एवं खण्डवा में निम्नानुसार अधिकारियों की टास्कफोर्स का गठन किया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1– | कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2– | पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3– | वन मण्डलाधिकारी | सदस्य समन्वयक |

(ख) टास्कफोर्स व्दारा इस समस्या से निपटने के लियेएक कार्य योजना तैयार कर उस पर अमल करवाया जायेगा । इसकी समीक्षा संबंधित संभाग आयुक्त व्दारा समय समय पर की जायेगी । यह समीक्षा भेड़ों

स्टेशनरी तैयार करवाकर ग्राम सभाओं को उपलब्ध करावें एवं सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं ग्राम सभाओं को आवश्यक निर्देश जारी करें । यह सुनिश्चित करें कि वन क्षेत्रों में निर्धारित चराई क्षमता से अधिक चराई न हो ।

9– एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नियमावली के नियम 4 के अनुसार निःशुल्क चराई के लिये अनुज्ञप्त पशु भी बिना अनुज्ञप्ति के वनों में प्रवेश नहीं कर सकते । इसलिये यदि क्षेत्रीय कर्मचारियों में यह धारणा है कि निःशुल्क चराई के लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है, इसे शीध्रतिशीध्र ठीक करें । किसी चराई उप इकाईयों में चराई भार को उसकी क्षमता के अन्दर सीमित रखने के लिये कुल उपलब्ध क्षमता को गॉव के निवासी परिवारों में बॉटा जाकर उन्हें निःशुल्क एवं सशुल्क चराई अनुज्ञप्ति जारी करने की व्यवस्था करें । यदि किसी परिवार के पास उनको आवंटित की गई अनुपातिक क्षमता से अधिक पशु हैं तो उन्हें वन क्षेत्र में चराने से प्रतिबंधित किया जावे ।

**7.1.2 निकटस्थ राज्यों के पशुओं के लिये प्रवेश व निर्गमन मार्ग :–**

**अ**–राजस्थान के पशु –

शासन की अधिसूचना क फा/ 7–1–84–दस–3 दि 30–6–86

**(एक)** सवाई माधोपुर(राजस्थान) से माली घाट (चम्बल नदी) श्योपुर, करहाल, जोहरी, शिवपुरी, मोहाना, ग्वालियर, और भिण्ड होकर उत्तरप्रदेश राज्य में इटावा में निकास ।

**(दो)** शाहाबाद(राजस्थान) से बमोरी( गुना जिला,मध्यप्रदेश) गुना, ईसागढ़ और चन्देरी होकर उत्तर प्रदेश में ललितपुर में निकास ।

**(तीन)** इफरोरा(राजस्थान) से भोजपुर, खिलचीपुर, राजगढ़, सितोलिया, लटेरी, सिरोंज, चौराहा, सारस, बहेड़ी, ढाकोनी और चन्देरी होकर उत्तरप्रदेश राज्य में ललितपुर में निकास ।

**ब**– गुजरात राज्य के पशु जो अमरावती (महाराष्ट्र) की ओर यात्रा करेगें। झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगौन, खण्डवा, और बुरहानपुर होकर महाराष्ट्र में निकास ।

व ऊँटों के आने के पूर्व एवं उनके जाने के पश्चात् विशेष रुप से की जावेगी ।

## 7.3 राज्य स्तरीय टास्क फोर्स

शासन,सा.प्र.वि.
आदेश एम–19–165
/ 1977/1/4
दि 4–10–1997

प्रदेश में राजस्थान से आने वाली लाखों भेड़ों एवं ऊँटों के कारण प्रदेश के वनों व किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचता है । इन भेड़ों एवं ऊँटों के साथ चरवाहे जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलायें भी सम्मिलित रहती हैं, लाठी , भाले, गोफन व बन्दूकों से लेस होकर वन एवं अन्य जिला स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डरा–धमकाकर मनमानी करते हैं तथा नियम – कानूनों का उल्लघंन कर कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ते हैं। प्रभावित जिले मन्दसौर, धार, खरगौन, देवास , खण्डवा हैं । प्रभावित प्रत्येक जिले हेतु अलग अलग टास्कफोर्स का गठन किया गया है । इन जिला स्तरीय टास्कफोर्स के कार्यो की समीक्षा करने एवं उन्हें समय समय पर मार्ग–निर्देश प्रदान करने के लिये निम्नानुसार राज्य स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किया जाता है :–

1– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अध्यक्ष

2– पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि सदस्य

3– मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) सदस्य समन्वयक

टास्कफोर्स आवश्यकतानुसार किसी भी समय, किन्तु कम से कम दो माह में एक बार स्थिति की समीक्षा करेगी ।

चुके हैं और जो अवैध रूप से वन भूमि पर काबिज हैं, उनके अतिक्रमणों को विरूद्ध भी बेदखली की कार्यवाही की जाये । हनी कॉम्बिंग वाले क्षेत्रो मे जहां पात्र व्यक्तियों को पट्टे दे दिये गये हैं, परन्तु उनके द्वारा इन पट्टों की आड़ में नये वन क्षेत्रों में अतिक्रमण करने की प्रवृति को कड़ाई से रोका जाये । किसी भी स्थिति में नये अतिक्रमण न होने देना सुनिश्चित करें और यदि कोई ऐसा अतिक्रमण होता है तो तत्काल बेदखली की कार्यवाही की जाये। साथ ही अतिक्रमित वन भूमि को मूल स्वरूप में लाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे। यदि जिम्मेदार वन मण्डलाधिकारी, उप वन मण्डलाधिकारियों द्वारा इस संबंध में अपेक्षित कदम नहीं उठाये जाते हैं तथा वन भूमि पर अतिक्रमण होना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थिति में वन भूमि पर नवीन अतिक्रमण न होने पायें ।

17.12.14

(रवि श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल